



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31082020-221468
CG-DL-E-31082020-221468

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 433]
No. 433]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 31, 2020/भाद्र 9, 1942
NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 31, 2020/BHADRA 9, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2020

सं. 64/2020- केन्द्रीय कर

सा.का.नि. 539(अ).—सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (2017 का 12) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 21/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 23 अप्रैल, 2019, जिसे सा.का.नि. 322 (अ), दिनांक 23 अप्रैल, 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, तृतीय अनुच्छेद में, प्रथम परंतुक में, “अगस्त 2020 के 31वें दिन” अंकों और शब्दों के स्थान पर “अक्टूबर 2020 के 31वें दिन” अंक और शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. सीबीईसी-20/06/07/2019-जीएसटी]

प्रमोद कुमार, निदेशक

नोट : मूल अधिसूचना सं० 21/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 23 अप्रैल, 2019, सा.का.नि. 322 (अ), दिनांक 23 अप्रैल, 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और पश्चातवर्ती अधिसूचना सं. 59/2020-केन्द्रीय कर, तारीख 13 जुलाई, 2020, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 443(अ), तारीख 13 जुलाई, 2020 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना द्वारा अंतिम संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st August, 2020

No. 64/2020—Central Tax

G.S.R. 539(E).—In exercise of the powers conferred by section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 21/2019- Central Tax, dated the 23rd April, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 322(E), dated the 23rd April, 2019, namely:—

In the said notification, in the third paragraph, in the first proviso, for the figures, letters and words “31st day of August, 2020”, the figures, letters and words “31st day of October, 2020” shall be substituted.

[F. No. CBEC-20/06/07/2019-GST]

PRAMOD KUMAR, Director

Note : The principal notification No. 21/2019- Central Tax, dated the 23rd April, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 322(E), dated the 23rd April, 2019 and last amended by notification No. 59/2020-Central Tax, dated the 13th July, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 443(E), dated the 13th July, 2020.